रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-14032022-234176
CG-MH-E-14032022-234176

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 133] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 14, 2022/फाल्गुन 23, 1943
No. 133] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 14, 2022/PHALGUNA 23, 1943

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक

शुद्धि पत्र

मुंबई, 11 मार्च, 2022

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में, क्रमांक 119 दिनांक 03 मार्च, 2022, के तहत प्रकाशित — राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक की अधिसूचना संख्या 02/ NaBFID / 2021-22 दिनांक 02 मार्च, 2022 में, अधिसूचना का पूरा हिंदी संस्करण नीचे दिए गए अनुसार पढ़ा जाये:

अधिसूचना

मुम्बई, 2 मार्च, 2022

फा. सं. 02/ NaBFID / 2021-22. —बोर्ड, राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 (2021 का 17) की धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से और रिजर्व बैंक के परामर्श से, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:--

1. संक्षिप्त नाम और परामर्श--(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक साधारण विनियम, 2022 है ।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं—(1) इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "अधिनियम" से राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 (2021 का 17) अभिप्रेत है ;

(ख) "धारा" से इस अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ।

(2) उन शब्दों और पदों का, जो इन विनियमों में प्रयुक्त हैं, किंतु परिभाषित नहीं हैं, वहीं अर्थ होगा, जो उनका अधिनियम और नियमों में हैं ।

3. बोर्ड और समितियों की बैठकें आयोजित करने की रीति—(1) अध्यक्ष और उसकी अनुपस्थिति में प्रबंध निदेशक और दोनों की अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम उप प्रबंध निदेशक, बोर्ड की बैठकों की तारीख, समय और स्थान नियत करेगा और उसके लिए कार्यवृत्त मदों का अनुमोदन करेगा ।

(2) ऐसा निदेशक, जिसे बोर्ड समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करे, उस समिति की बैठकों की तारीख, समय और स्थान नियत करेगा, उसके लिए कार्यवृत्त मदों का अनुमोदन करेगा, ऐसी बैठकों की अध्यक्षता करेगा :

परंतु अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा उनमें से निर्वाचित कोई निदेशक बैठक की अध्यक्षता करेगा ।

(3) बोर्ड और समितियों की बैठकों की सूचना, कंपनी सचिव द्वारा या यदि कोई कंपनी सचिव नहीं है, तो संस्था के किसी निदेशक या ज्येष्ठ प्रबंधन का गठन करने वाले अन्य कर्मचारी द्वारा, जैसा कि इस संबंध में बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, जारी की जाएगी ।

(4) संस्था, बोर्ड और समितियों के संबंध में ऐसे अनुसचिवीय मानकों का पालन करेगी, जो अधिनियम, नियमों और उनके अधीन बनाए गए विनियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 118 की उपधारा (10) के अधीन कंपनी की बोर्ड बैठकों के संबंध में लागू होते हैं ।

4. संपरीक्षा समिति—(1) संपरीक्षा समिति, निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगी, अर्थात् :--

(क) अंशधारकों की साधारण बैठक में संस्था के संपरीक्षकों की नियुक्ति के लिए बोर्ड को सिफारिशें करना;

(ख) संस्था के आंतरिक संपरीक्षकों की नियुक्ति, उनके पारिश्रमिक और उन्हें हटाए जाने के लिए बोर्ड को सिफारिशें करना ;

(ग) खंड (क) में निर्दिष्ट संपरीक्षकों की स्वतंत्रता और प्रदर्शन तथा संपरीक्षा प्रक्रियाओं की प्रभावकारिता का पुनर्विलोकन और मानीटरी करना ;

(घ) आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रणाली का मूल्यांकन करना ;

(ङ) अंतर-निगमित ऋण और विनिधानों को प्रतिभूत करना ;

(च) संस्था के उपक्रमों या आस्तियों का मूल्यांकन कराना, जहां कहीं आवश्यक समझा जाए ;

(छ) यह निर्धारित करना कि क्या लागू विधियों के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली की खोज की गई है और उसका प्रभावी रूप से प्रचालन किया जा रहा है ;

(ज) आंतरिक संपरीक्षक से परामर्श करके आंतरिक संपरीक्षा के संचालन के लिए क्षेत्र, कृत्यकारी, कालिकता और विधितंत्र को विनिर्मित करना ;

(झ) आंतरिक संपरीक्षकों द्वारा ऐसे मामलों में, जहां कपट या अनियमितता अथवा तात्विक प्रवृति की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के असफल होने का संदेह है, आंतरिक अनुसंधान के निष्कर्षों का पुनर्विलोकन करना और उस मामले की बोर्ड को रिपोर्ट करना ;

(ञ) त्रिमासिक, अर्द्धवार्षिक और वार्षिक वित्तीय विवरण तथा संपरीक्षकों की रिपोर्ट बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले उनकी परीक्षा करना :

परंतु संपरीक्षा समिति की बैठकों में जब संपरीक्षक रिपोर्ट पर विचार किया जाता है, तब संपरीक्षकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को सुनवाई का अधिकार होगा, लेकिन उन्हें मतदान का अधिकार नहीं होगा ;

(ट) संस्था के संव्यवहारों पर बोर्ड के अनुमोदन की संबंधित पक्षकारों को सिफारिश करना :

परंतु संपरीक्षा समिति, उपविनियम (2) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, संस्था द्वारा किए जाने के लिए प्रस्तावित संबंधित पक्षकार संव्यवहारों के लिए बहुप्रयोजनीय अनुमोदन प्रदान कर सकेगी ;

(ठ) संपरीक्षकों से आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, संपरीक्षा के क्षेत्र, जिसके अंतर्गत संपरीक्षकों के संप्रेक्षण भी हैं, और बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले वित्तीय विवरणों के पुनर्विलोकन पर टिप्पणी मांगना और आंतरिक तथा कानूनी संपरीक्षकों और संस्था के प्रबंधन के साथ संबद्ध मुद्दों पर चर्चा करना ;

(ड) मुख्य वित्तीय अधिकारी की नियुक्ति के लिए बोर्ड को सिफारिशें करना ;

(ढ) आंतरिक संपरीक्षा कृत्य के अध्यक्ष की नियुक्ति, हटाए जाने और पारिश्रमिक के लिए बोर्ड को सिफारिशें करना ;

(ण) इस विनियम में विनिर्दिष्ट कृत्यों या उन कृत्यों, जो उसे बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किए जाएं, से संबंधित किसी मामले में अनुसंधान करना, जिसके लिए संपरीक्षा समिति, जहां कहीं वह आवश्यक समझे, बाहरी स्रोतों से वृत्तिक सलाह प्राप्त कर सकती है, और उसे संस्था के अभिलेखों में अंतर्विष्ट सूचना तक पूर्ण पहुंच होगी ;

(त) संपरीक्षकों के साथ संपरीक्षा की प्रकृति और क्षेत्र पर तथा संपरीक्षा के पश्चात् परिलक्षित समुत्थान के किसी क्षेत्र पर चर्चा करना ;

(थ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करना, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

स्पष्टीकरण—इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए, "मुख्य वित्तीय अधिकारी" से संस्था का ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जो इस प्रकार नियुक्त किया गया है और उसके वित्तीय कृत्य का प्रमुख है ।

(2) बोर्ड, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, संस्था द्वारा किए जाने के लिए प्रस्तावित संबंधित पक्षकार संव्यवहारों के लिए बहुप्रयोजनीय अनुमोदन प्रदान करने के लिए संपरीक्षा समिति को सशक्त कर सकेगा, अर्थात् :--

(क) संपरीक्षा समिति, बहुप्रयोजनीय अनुमोदन जिसके अंतर्गत वे संव्यवहार भी हैं, जो आवर्तक प्रकृति के हैं, प्रदान करने के लिए मानदंड विरचित करेगी ;

(ख) संपरीक्षा समिति अपना समाधान करेगी कि ऐसा अनुमोदन संस्था के हित में है ;

(ग) बहुप्रयोजनीय अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों को विनिर्दिष्ट करेंगे, अर्थात् :--

(i) संबंधित पक्षकार के नाम के संबंध में ब्यौरे, किए जाने वाले संव्यवहारों की प्रकृति, अवधि और अधिकतम रकम ;

(ii) कीमत के वितरण के लिए सूत्र के साथ निर्देशात्मक आधार कीमत या चालू संविदात्मक कीमत के संबंध में ब्यौरे, यदि कोई हो ;

(iii) ऐसी अन्य शर्तें, जो संपरीक्षा समिति आवश्यक समझे :

परंतु जहां संबंधित पक्षकार संव्यवहार के लिए आवश्यकता का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है और उक्त ब्यौरे उपलब्ध नहीं है, वहां संपरीक्षा समिति, ऐसे संव्यवहारों के लिए, एक करोड़ रुपए प्रति संव्यवहार से अनधिक उनके मूल्य के अध्यधीन रहते हुए, बहुप्रयोजनीय अनुमोदन प्रदान कर सकेगी ;

(घ) संपरीक्षा समिति, दिए गए प्रत्येक बहुप्रयोजनीय अनुमोदन के अनुसरण में संस्था द्वारा किए गए संबद्ध पक्षकार संव्यवहारों के ब्यौरों का त्रिमासिक आधार पर पुनर्विलोकन करेगी ;

(ङ) बहुप्रयोजनीय अनुमोदन एक वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए विधिमान्य होगा और एक वर्ष के अवसान के पश्चात् नया अनुमोदन अपेक्षित होगा ।

5. नामनिर्देशन और पारिश्रमिक समिति--नामनिर्देशन और पारिश्रमिक समिति निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगी, अर्थात् :--

(क) धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (च) के अधीन नियुक्त किए जाने वाले निदेशक की अर्हता, सकारात्मक गुण और स्वतंत्रता के लिए मानदंडों की विरचना करना और बोर्ड को ऐसे मानदंड की सिफारिश करना ;

(ख) ऐसे व्यष्टियों की पहचान करना, जो खंड (क) में निर्दिष्ट मानदंड के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अर्हित हैं ;

(ग) ऐसे व्यष्टि की निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए बोर्ड को सिफारिशें करना ;

(घ) बोर्ड को ऐसे निदेशक, जो केंद्रीय सरकार के अधिकारी या पूर्णकालिक निदेशक से भिन्न है, के लिए बैठक फीस और नियत पारिश्रमिक, यदि कोई हो, के रूप में संदेय राशि की सिफारिश करना ;

(ङ) विनियम 9 में यथाविनिर्दिष्ट प्रबंध निदेशक, उप प्रबंध निदेशक, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्तों की बोर्ड को सिफारिश करना ;

(च) प्रतिनियुक्ति पर के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवाओं के निबंधन और शर्तों का अवधारण करना ;

(छ) विनियम 11 में यथाविनिर्दिष्ट शास्तियों का अवधारण करने के लिए प्राधिकारी के रूप में कार्य करना ;

(ज) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करना, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

6. जोखिम प्रबंधन समिति--जोखिम प्रबंधन समिति निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगी, अर्थात् :--

(क) संस्था की जोखिम प्रबंधन नीति की विरचना करना, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होगा, अर्थात् :--

(i) संस्था द्वारा सामना किए जा रहे आंतरिक और बाहरी जोखिमों की पहचान किए जाने के लिए रूपरेखा, जिसके अंतर्गत वित्तीय जोखिम, प्रचालन जोखिम, क्षेत्रीय जोखिम, धारणीय जोखिम, सूचना जोखिम और साइबर सुरक्षा जोखिम भी हैं ;

(ii) जोखिम न्यूनीकरण के लिए उपाय, जिसके अंतर्गत परिलक्षित जोखिमों के आंतरिक नियंत्रण के लिए प्रणालियां और प्रक्रिया भी हैं ;

(iii) कारबार निरंतरता योजना ;

(ख) यह सुनिश्चित करना कि संस्था के कारबार के साथ सहयुक्त जोखिम की मानीटरी और मूल्यांकन करने के लिए समुचित विधितंत्र, प्रक्रिया और प्रणाली विद्यमान है;

(ग) जोखिम प्रबंधन नीति की मानीटरी और निरीक्षण करना जिसके अंतर्गत जोखिम प्रबंधन प्रणालियों की पर्याप्तता का मूल्यांकन करना भी है;

(घ) संस्था की जोखिम प्रबंधन नीति का बदलती हुई औद्योगिक गतिकी और विकसित होती हुई जटिलताओं पर विचार करते समय कालिक रूप से पुनर्विलोकन करना;

(ङ) बोर्ड को उसकी चर्चाओं, सिफारिशों और की गई कार्रवाइयों की प्रकृति और अंतर्वस्तु के बारे में सूचित करना;

(च) बोर्ड को संस्था के जोखिम कृत्य के प्रमुख की नियुक्ति, हटाए जाने और पारिश्रमिक के बारे में सिफारिश करना;

(छ) अन्य समितियों के साथ उसके क्रियाकलापों का और जहां क्रियाकलापों में अतिव्यापन है वहां ऐसी रूपरेखा के अनुसरण में जो इस प्रयोजन के लिए बोर्ड द्वारा अधिकथित की जाए, समन्वय करना;

(ज) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करना, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

7. कार्यकारी समिति और अन्य समितियां.—(1) कार्यकारी समिति, ऐसे साधारण और विशेष निदेशों के अध्यधीन रहते हुए जो समय-समय पर बोर्ड द्वारा दिए जाएं, बोर्ड की सक्षमता के भीतर किन्हीं मामलों से व्यौहार कर सकेगी ।

(2) धारा 15 की उपधारा (4) के अधीन गठित समिति बोर्ड को ऐसे मामलों पर सलाह दे सकेगी जो उसे बोर्ड द्वारा या तो साधारणतया या विशेष रूप से निर्दिष्ट किए जाएं और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगी जो बोर्ड द्वारा उसे न्यस्त किए जाएं ।

8. संबंधित पक्षकार के साथ संव्यवहार की रकम.— धारा 19 की उपधारा (1) के पहले परंतुक के प्रयोजनों के लिए संस्था कोई संव्यवहार नहीं करेगी जहां किए जाने वाला संव्यवहार.--

(क) निम्नलिखित को अंतर्वलित करते हुए धारा 19 की उपधारा (1) के खंड (क) से खंड (ङ) में निर्दिष्ट मामलों से संबंधित संविदाओं और ठहरावों के रूप में हैं-

(i) संस्था के आवर्त के 10 प्रतिशत या अधिक की कोटि में आने वाला किसी माल अथवा सामग्री का सीधा या अभिकर्ता के माध्यम से विक्रय, क्रय या पूर्ति;

(ii) संस्था के शुद्ध मूल्य के 10 प्रतिशत या अधिक की कोटि में आने वाला किसी प्रकार की संपत्ति का सीधा या अभिकर्ता के माध्यम से विक्रय या अन्यथा निपटान या क्रय;

(iii) संस्था के शुद्ध मूल्य के 10 प्रतिशत या अधिक की कोटि में आने वाला किसी प्रकार की संपत्ति का पट्टा;

(iv) संस्था के शुद्ध मूल्य के 10 प्रतिशत या अधिक की कोटि में आने वाला किन्हीं सेवाओं का सीधा या अभिकर्ता के माध्यम से उपभोग या उनका प्रदाय;

(ख) संस्था, उसकी समनुषंगी या सहायक कंपनियों में दो लाख पचास हजार रुपए से अनधिक के मासिक पारिश्रमिक पर किसी लाभ के पद या स्थान पर नियुक्ति के लिए है;

(ग) संस्था के शुद्ध मूल्य के एक प्रतिशत से अनधिक की किन्हीं प्रतिभूतियों या उसके व्युत्पन्नों के अभिदान के निम्नांकन हेतु पारिश्रमिक के लिए है ।

स्पष्टीकरण.—इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए,--

(क) खंड (क) के उपखंड (i) से उपखंड (iv) में निर्दिष्ट प्रतिशत किसी वित्तीय वर्ष के दौरान पूर्ण संव्यवहारों के साथ किए जाने वाले संव्यवहार के लिए गणना में लिया जाएगा;

(ख) आवर्त और शुद्ध मूल्य की गणना पूर्व वित्तीय वर्ष के संपरीक्षित वित्तीय विवरण के आधार पर की जाएगी;

(ग) अंश धारकों की साधारण बैठकों की सूचना से संलग्न किए जाने वाले स्पष्टीकारक टिप्पण में निम्नलिखित विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी, अर्थात्,--

(i) संबंधित पक्षकार का नाम;

(ii) संबंद्ध निदेशक या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक का नाम, यदि कोई हो;

(iii) संबंध की प्रकृति;

(iv) संविदा और ठहराव की प्रकृति, तात्विक निबंधनों, धनीय मूल्य और विशिष्टियां;

(v) कोई अन्य सूचना जो प्रस्तावित संकल्प पर विनिश्चय करने के लिए सदस्यों के लिए सुसंगत और महत्वपूर्ण है ।

9. वेतन और भत्ते.—(1) नामनिर्देशन और पारिश्रमिक समिति, बोर्ड को संस्था के प्रबंध निदेशक, उप प्रबंध निदेशकों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के संबंध में वेतन और भत्तों की निम्नलिखित पर विचार करते हुए सिफारिश करेगी:-

(क) पारिश्रमिक का स्तर और संरचना संस्था को सफलतापूर्वक चलाने के लिए अपेक्षित है क्वालिटी वाले व्यष्टियों को आकर्षित करने, बनाए रखने और प्रेरित करने के लिए युक्तियुक्त और पर्याप्त हो;

(ख) पारिश्रमिक का प्रदर्शन के साथ स्पष्ट संबंध हो और वह समुचित प्रदर्शन बैंचमार्क को पूरा करता हो;

(ग) पारिश्रमिक संस्था के कामकाज और उसके लक्ष्यों के लिए समुचित अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रदर्शन को प्रदर्शित करते हुए नियत और प्रोत्साहन वेतन के मध्य संतुलन को अंतरवर्लित करता हो;

(घ) संबंध व्यष्टियों की वृत्तिक अर्हताएं और अनुभव;

(ङ) संबंद्ध व्यष्टि द्वारा किसी अन्य क्षमता में या किसी अन्य कंपनी से आहरित पारिश्रमिक या कमीशन;

(च) संस्था की वित्तीय स्थिति जिसके अंतर्गत पिछले तीन पूर्व वित्तीय वर्षों के दौरान उसका वित्तीय और प्रचालन प्रदर्शन;

(2) उपनियम (1) में यथाविनिर्दिष्ट वेतन और भत्तों की सिफारिश करते समय नामनिर्देशन और पारिश्रमिक समिति यह सुनिश्चित करेगी कि संस्था द्वारा किसी वित्तीय वर्ष के संबंध में उसके निदेशकों के संदेय कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की अनुसूची 5 के भाग 2 के खंड II की मद (अ) के अधीन प्रबंधकीय और अन्य निदेशकों के लिए लागू सीमाओं और उक्त भाग के खंड I के अधीन लागू सीमा के उच्चतर सकल से अधिक नहीं हो ।

स्पष्टीकरण.-- इस विनियम के प्रयोजनों के लिए खंड I या खंड II में कंपनी के प्रति किसी निर्देश का संस्था के रूप में अर्थ लगाया जाएगा ।

(3) बोर्ड उपविनियम (1) के अधीन की गई सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् संस्था के प्रबंध निदेशक, उप प्रबंध निदेशकों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन और भत्ते यह सुनिश्चित करते हुए कि किसी वित्तीय वर्ष में संस्था द्वारा उसके निदेशकों को संदेय कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक उपविनियम (2) में निर्दिष्ट सीमाओं से अधिक न हो, अवधारित करेगा ।

10. प्रतिनियुक्ति.—(1) संस्था द्वारा किसी संस्था से जिसके अंतर्गत अवसंरचना वित्त या विकास संस्था भी है, पांच वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए कोई अधिकारी या अन्य कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर लिया जा सकेगा ।

(2) प्रतिनियुक्ति पर लिए गए किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी की सेवाओं के निबंधन और शर्तों में निम्नलिखित सम्मिलित होगा, अर्थात्:-

(क) प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान सेवाओं के निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जो नामनिर्देशन और पारिश्रमिक समिति द्वारा अवधारित की जाए;

(ख) यदि किसी ऐसी संस्था से जिसमें केन्द्रीय सरकार पचास प्रतिशत से अन्यून समादत्त साधारण शेयर पूंजी धारित करती है, प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी और अन्य कर्मचारी लिए जाते हैं, तो प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान सेवा के निबंधन और शर्तें उनसे कम अनुकूल नहीं होगी जो ऐसी संस्था में उनकी सेवा की है ।

11. शास्तियां अवधारित करने के लिए तंत्र.—(1) नामनिर्देशन और पारिश्रमिक समिति धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन शास्तियां अवधारित करने के लिए प्राधिकृत होगी ।

(2) नामनिर्देशन और पारिश्रमिक समिति, ऐसे निदेशक और कर्मचारी को जिसके विरुद्ध संस्था द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा यथास्थिति धारा 16 या धारा 19 के उपबंधों का अतिक्रमण करने के लिए लिखित में शिकायत की गई है, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए जाने के पश्चात् आदेश द्वारा ऐसे निदेशक या कर्मचारी पर जिन्होंने ऐसे उपबंधों का अतिक्रमण किया है शास्ति अधिरोपित कर सकेगी ।

(3) शास्तियों का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए नामनिर्देशन और पारिश्रमिक समिति—

(क) निम्नलिखित की उपस्थिति की अपेक्षा और उनकी परीक्षा कर सकेगी—

(i) निदेशक या अन्य कर्मचारी जिनके विरुद्ध अतिक्रमण के लिए शिकायत की गई है;

(ii) संस्था का कोई अन्य निदेशक, अधिकारी या कर्मचारी;

(iii) संस्था के नियंत्रणधीन कोई अन्य व्यक्ति;

(ख) संस्था द्वारा अवधारित या उसके नियंत्रणाधीन किसी दस्तावेज या अन्य इलेक्ट्रानिक अभिलेख को प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा कर सकेगी ।

(ग) यदि वह सुसंगत समझे तो किसी अन्य व्यक्ति को साक्ष्य देने के लिए अनुज्ञात कर सकेगी;

(घ) यदि वह सुसंगत समझे तो किसी अन्य दस्तावेज या अभिलेख का प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित कर सकेगी ।

(4) उपविनियम (2) के अधीन नामनिर्देशन और पारिश्रमिक समिति द्वारा किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई निदेशक या कर्मचारी ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिवस के भीतर बोर्ड को अपील कर सकेगा और बोर्ड उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए जाने के पश्चात् ऐसे आदेश को जिसके विरुद्ध अपील की गई है या तो पुष्ट करते हुए, उसका उपांतरण करते हुए या उसे अपास्त करते हुए ऐसा ओदश पारित करेगा जो वह उपयुक्त समझे या आदेश द्वारा मामले को निपटान के लिए नामनिर्देशन और पारिश्रमिक समिति को प्रतिप्रेषित कर सकेगा ।

(5) जहां ऐसा निदेशक जिसके विरुद्ध शिकायत की गई है यथास्थिति नामनिर्देशन और पारिश्रमिक समिति या बोर्ड का सदस्य है तो वह ऐसी किसी बैठक में भाग नहीं लेगा जिसमें शिकायत पर विचार विमर्श किया जा रहा है:

परंतु ऐसे निदेशक द्वारा बैठक में भाग नहीं लेने के कारण अपेक्षित गणपूर्ति या अध्यपेक्षित न्यूनतम सदस्यता का गठन करने वाले स्वतंत्र निदेशकों या नामनिर्देशन और पारिश्रमिक समिति का बहुमत पूरा नहीं होता है तो बोर्ड उसके स्थान पर किसी अन्य निदेशक को नियुक्त कर सकेगा ।

पी. किशोर कुमार, विशेष कार्याधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./686/2021-22]

नोट : दिनांक 3 मार्च 2022 को जारी अंग्रेजी संस्करण में कोई परिवर्तन नही किया गया है।

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.03.14 22:08:25 +05'30'